गोपनीय

प्रेषक,

सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
सीलिंग अनुभाग-15,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 49/15-सीलिंग-8/74 दिनांक जुलाई 16, 1975

विषय - उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम 1974 का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार कार्यवाही की प्रगति नितान्त असन्तोषजनक है जिसका केवल एक ही कारण प्रतीत होता है कि भूमि सुधार के इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृपया इस कार्य की ओर अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर यह सुनिश्चित करें कि समस्त ऐसे क्षेत्रपतियों, जिनके पास स्वंय या दूसरों के नाम से 18 एकड़ से अधिक भूमि कृषीय कब्जे में होने की सम्भावना हो, की पत्रावलियों को पुनः जांच कराकर जिन मामलों में संशोधन अधिनियम की धारा 9 के अधीन पुनः सीमा अवधारण की कार्यवाही होनी है या संशोधनों के फलस्वरुप जिन नये मामलों में जोत सीमा अवधारण की कार्यवाही होनी है, उनमें 31-7-75 तक हर दशा में धारा 10 (2) के अधीन नोटिस जारी हो जाय तथा संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार सीमा अवधारण की कार्यवाही हर हालत में पूर्ण कर ली जाय:-

1-संशोधनों के अनुसार जांच पड़ताल, प्रप
प्रदान तथा धारा 10 (2) के अ

2-नोटिसों की तामील अ

3-धारा 12 (1) के अ

4-धारा 1

2- शासनादेश संख्या 1-6(7)/73-रा-1 दिनांक 27-1-75 तथा परिषदादेश संख्या 29/15-सी0-8/74, दिनांक 22-3-75 द्वारा संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा किये गये प्राविधानों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं जिनका पूर्ण रुप से अध्ययन करके उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार अग्रेतर कार्य पूरा किया जाय। मार्ग दर्शन हेतु अग्रेतर अनुच्छेदों में मुख्य-मुख्य बातों पर फिर से प्रकाश डाला जाता है। इन निर्देशों को भी ध्यान में रखते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाय।

3- अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन अपनी भूमि अतिरिक्त घोषित होने से बचाने के लिये खातेदारों ने तरह तरह के उपाय अपनायें हैं। कुछ लोग जोतों को धरा से ही दूसरों के नाम दिखावे के लिये अंकित कराकर भूमि स्वंय जोतते और भोग करते हैं। कुछ लोगों ने अपनी जोतों में दूसरों का नाम दिखावे के लिये अंकित करा दिया है परन्तु सारी भूमि अपने वैयक्तिक अधिकार और कृषकीय कब्जे में रखते है। कुछ लोगों ने सहकारी कृषि समितियां बनाकर अपने रिश्तेदारों, हलवाहों, मजदूरों आदि को फर्जी तौर पर उनका सदस्य बना रखा है और बराबर हिस्सा मानकर सीलिंग से बचना चाह रहे हैं। नये संशोधनों के अनुसार ऐसे मामलों में भूमि उसी व्यक्ति की समझी जायेगी जो उसे अपने वैयक्तिक अधिकार एवं कब्जे में रखता हो चाहे उसने अन्य व्यक्तियों का नाम न्यायालय के आदेशों से अथवा अन्य किसी भी रीति से किसी भी समय अंकित करा लिया हो। इसके लिये धारा 5 की उप धारा (1) में स्पष्टीकरण 1 और 2 तथा उप धारा (4) के प्रतिबन्ध में समुचित व्यवस्था कर दी गई है। प्रत्येक परगनाधिकारी तथा तहसीलदार को व्यक्तिगत रुप से इस बात के लिये उत्तरदायी बनाया जाय कि वह उपरोक्त प्रकार के सभी मामलों की पूरी-पूरी जांच कराकर जिन मामलों में भूमि अधिकतम जोत सीमा से अधिक पाई जाय उनमें धारा 10(2) के अधीन नोटिस जारी कराकर अधिकतम जोत सीमा तथा अतिरिक्त भूमि का अवधारण करावें।

4- मूल सीलिंग अधिनियम की धारा 4(2) में उल्लिखित क्षेत्रों में एकल फसल वाली भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही।

धारा 4(2) में उल्लिखित क्षेत्रों में असिंचित भूमि के अन्तर्गत एकल फसल वाली भूमि की अलग श्रेणी कायम की गई है जिसका तात्पर्य ऐसी 'असिंचित भूमि' से है जिसमें किसी राजकीय अथवा निजी सिंचन संकर्म से आश्वासित सिंचाई के परिणामस्वरुप किसी कृषि वर्ष में केवल एक फसल उगाई गई हो। सिंचित भूमि मालूम करने के लिये तो वर्ष 1378, 1379, 1380 फसली में भूमि की स्थिति देखने का प्राविधान नई धारा 4 क में है किन्तु एकल फसल वाली भूमि के सम्बन्ध में ऐसा स्पष्ट प्राविधान नहीं है। प्रपत्र-5 में उपरोक्त वर्षों के खसरों के आधार पर बोई गई फसलों के क्षेत्रफल का अंकन स्तम्भ 14 से 22 में किया गया है और सिंचित भूमि के क्षेत्रफल को लाल स्याही से घेरा गया है। उपरोक्त वर्षों के खसरों को देखकर एकल फसल वाली भूमि के क्षेत्रफल को काली स्याही से घेर दिया जाय। यह ध्यान रहे कि एकल फसल वाली भूमि के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह शिड्यूल 1 की दरों वाली नहरों से ही सिंचित हो। किसी भी राजकीय नहर से सिंचित भूमि, यदि उसमें एक फसल उगाई गई हो एकल फसल वाली भूमि मानी जायेगी। प्रपत्र-5 के स्तम्भ 27 के बाद एक स्तम्भ 27 क बढ़ा दिया जाय। एकल फसल वाली भूमि को 27 क में लिखा जाय और स्तम्भ 27 से उसे खारिज किया जाय। तत्पश्चात स्तम्भ 28 में

क्रमशः - 3

मेवालाल 16/7

2- शासनादेश संख्या 1-6(7)/73-रा-1 दिनांक 27-1-75 तथा परिषदादेश संख्या 29/15-सी0-8/74, दिनांक 22-3-75 द्वारा संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा किये गये प्राविधानों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं जिनका पूर्ण रूप से अध्ययन करके उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार अपेक्षित कार्य पूरा किया जाय। मार्ग दर्शन हेतु अन्तर अनुच्छेदों में मुख्य-मुख्य बातों पर फिर से प्रकाश डाला जाता है। इन निर्देशों को भी ध्यान में रखते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाय।

3- अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन अपनी भूमि अतिरिक्त घोषित होने से बचाने के लिये खातेदारों ने तरह तरह के उपाय अपनाये हैं। कुछ लोग जोतों को भ्रम से ही दूसरों के नाम दिखावे के लिये अंकित कराकर भूमि स्वयं जोतते और भोग करते हैं। कुछ लोगों ने अपनी जोतों में दूसरों का नाम दिखावे के लिये अंकित करा दिया है परन्तु सारी भूमि अपने वैयक्तिक अधिकार और कृषकीय कब्जे में रखते हैं। कुछ लोगों ने सहकारी समितियां बनाकर अपने रिश्तेदारों, हलवाहों, मजदूरों आदि को फर्जी तौर पर उनका सदस्य बना रखा है और बराबर हिस्सा मानकर सीलिंग से बचना चाह रहे हैं। नये संशोधनों के अनुसार ऐसे मामलों में भूमि उसी व्यक्ति की समझी जायेगी जो उसे अपने वैयक्तिक अधिकार एवं कब्जे में रखता हो चाहे उसने अन्य व्यक्तियों का नाम न्यायालय के आदेशों से अथवा अन्य किसी भी रीति से किसी भी समय अंकित करा लिया हो। इसके लिये धारा 5 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण 1 और 2 तथा उपधारा (4) के प्रतिबन्ध में समुचित व्यवस्था कर दी गई है। प्रत्येक परगनाधिकारी तथा तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिये उत्तरदायी बनाया जाय कि वह उपरोक्त प्रकार के सभी मामलों की पूरी-पूरी जांच कराकर जिन मामलों में भूमि अधिकतम जोत सीमा से अधिक पाई जाय उनमें धारा 10 (2) के अधीन नोटिस जारी कराकर अधिकतम जोत सीमा तथा अतिरिक्त भूमि का अवधारण करावें।

4- मूल सीलिंग अधिनियम की धारा 4 (2) में उल्लिखित क्षेत्रों में एकल फसल वाली भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही।

धारा 4 (2) में उल्लिखित क्षेत्रों में असिंचित भूमि के अन्तर्गत एकल फसल वाली भूमि की अलग श्रेणी कायम की गई है जिसका तात्पर्य ऐसी 'असिंचित भूमि' से है जिसमें किसी राजकीय अथवा निजी सिंचन संकर्म से आश्वासित सिंचाई के परिणामस्वरूप किसी कृषि वर्ष में केवल एक फसल उगाई गई हो। सिंचित भूमि मालूम करने के लिये तो वर्ष 1378, 1379, 1380 फसली में भूमि की स्थिति देखने का प्राविधान नई धारा 4 क में है किन्तु एकल फसल वाली भूमि के सम्बन्ध में ऐसा स्पष्ट प्राविधान नहीं है। प्रपत्र-5 में उपरोक्त वर्षों के खसरों के आधार पर बोई गई फसलों के क्षेत्रफल का अंकन स्तम्भ 14 से 22 में किया गया है और सिंचित भूमि के क्षेत्रफल को लाल स्याही से घेरा गया है। उपरोक्त वर्षों के खसरों को देखकर एकल फसल वाली भूमि के क्षेत्रफल को काली स्याही से घेर दिया जाय। यह ध्यान रहे कि एकल फसल वाली भूमि के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह फील्डफुल। की दरों वाली नहरों से ही सिंचित हो। किसी भी राजकीय नहर से सिंचित भूमि, यदि उसमें एक फसल उगाई गई हो एकल फसल वाली भूमि मानी जायेगी। प्रपत्र-5 के स्तम्भ 27 के बाद एक स्तम्भ 27 क बढ़ा दिया जाय। एकल फसल वाली भूमि को 27 क में लिखा जाय और स्तम्भ 27 से उसे खारिज किया जाय। तत्पश्चात स्तम्भ 28 में

क्रमशः - 3

आवश्यक कार्यवाही की जाय। प्रपत्र 3 के भाग 2 के अनावासिक खातेदारों का नया प्रपत्र-5 बनाकर आवासिक स्थान को भेजा जाय।

7-बेनामी काश्त करने वालों पर जोत सीमा आरोपण

नये संशोधन द्वारा धारा 5(1) में स्पष्टीकरण (1) और (2) बेनामी काश्तकारों द्वारा जोत सीमा आरोपण से बचने के प्रयासों को निष्प्रभावी बनाने के लिये जोड़े गये हैं। इन संशोधनों के फलस्वरूप ऐसी समस्त भूमि जो किसी व्यक्ति के वैयक्तिक अधिकार तथा कब्जे में हो उसी के द्वारा धृत मानी जायेगी भले ही :-

(1) उस भूमि या उसके किसी अंश पर प्रारम्भ से ही दूसरे लोगों का नाम अंकित हो,

(2) जोत पहले कभी उसके नाम अंकित रही हो परन्तु बाद में भूमि सुधार कानूनों से भूमि बचाने के लिये दिखावे के लिये पूरी जोत या उसके कोई अंश अन्तरित कर दिया गया हो अथवा पूरी जोत या उसके किसी अंश पर दिखावे के लिये अन्य व्यक्तियों के नाम सहखातेदार के रुप में अंकित करा लिया गया हो, चाहे यह नामान्तरण बैनामे लाइसेन्स या न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत ही हुआ हो।

इनकी पकड़ के लिये हर बड़े व मध्यवर्गीय कृषक की जोतों की स्थानीय जांच परम आवश्यक होगी। उल्लेखनीय है कि ऐसे सभी मामलों में यदि मूल व्यक्ति मौके पर जोत की भूमि पर काबिज है और कृषि कर रहा है तो यह निष्कर्ष निकाला जायेगा कि वही वास्तविक काश्तकार है और वह दूसरों के नाम से भूमि रखे हुये है तथा इसी आधार पर जोत सीमा निर्धारण किया जायेगा। यह सिध्द करने का भार कि वह सब व्यक्ति जिनके नाम अंकित हैं वास्तव में भूमि पर काबिज हैं और खेती कर रहे हैं उसी व्यक्ति पर होगा न कि शासन पर। ऐसे मामले काफी होंगे। पुरानी सीलिंग के समय खातेदारों की उत्तर प्रदेश के भीतर स्थित समस्त जोतों का संकलन करके उन खातेदारों की सूची बनी थी जिनके पास 40 एकड़ से अधिक भूमि थी तथा जिनके विरुध्द सीलिंग की कार्यवाही होने की सम्भावना थी। उस समय 20-8-59 के बाद के अन्तरणों की उपेक्षा की गई थी। इसी प्रकार बड़े कृषकों के कृषि आय कर तथा बृहत जोतकर के अभिलेख भी उपलब्ध होने चाहिये। इनको तथा खतौनी वर्ष 1367 फसली की सहायता से छांटकर उस समय 18 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले कृषकों व उनकी जोतों की सूची तैयार करली जाय। तदोपरान्त तहसीलों में उपलब्ध नामान्तर बहियों से इन जोतों का मिलान कर उपरोक्त कृषकों द्वारा 1367 फ0 के बाद किये गये अन्तरणों की सूची तैयार की जाय। तत्पश्चात प्रत्येक अन्तरण की गई भूमि के सम्बन्ध में स्थानीय जांच कराई जाय कि उस भूमि पर किसका कब्जा है। अन्तरणों की जांच करते समय यह भी देखा जाय कि क्रेता का आवास कहां है तथा वह किसके माध्यम से खेती करता है। विक्रय मूल्य का भुगतान सही सही हुआ है या नहीं तथा वह विक्रेता के एकाउन्ट में दिखलाया गया है या नहीं। क्रेता विक्रेता खातेदार का सम्बन्धी तो नहीं है। इसी दृष्टिकोणों से उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में घोषणात्मक वादों तथा विभाजन की कार्यवाहियों की पत्रावलियां भी देखी जांय। जांच में जिस अन्तरित भूमि पर मौके पर वास्तविक कृषीय कब्जा मूल क्षेत्रपति का ज्ञात हो तथा भूमि पर अंकित काश्तकार वहां का निवासी न हो, या मूल क्षेत्रपति का सम्बन्धी हो, विक्रय मूल्य भूमि के बाजार मूल्य से काफी कम हो व उसका भुगतान संदिग्ध हो तो यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि वह भूमि अब भी मूल क्षेत्रपति द्वारा धृत है और वह दूसरों के नाम से काश्त कर रहा है। उदाहरण के लिये यदि किसी खातेदार 'अ' ने

क्रमशः - 5

[signature] 1617

अपने पुत्र 'ब' की स्त्री के नाम अन्तरण किया है और 'स' की पत्नी 'ब' न दिखाकर पुत्र 'द' दिखाया है किन्तु खेती 'अ' ही कर रहा है तो यह निष्कर्ष निकाला जायेगा कि भूमि वास्तव में 'अ' की है और वह 'स' के नाम से बेनामी कायत कर रहा है। जांच के उपरान्त दिखावे के लिये अंकित व्यक्तियों की एक सूची निम्नलिखित प्रपत्र। क में तैयार की जायेगी:-

प्रपत्र-। क

ऐसे खातेदारों की सूची जिनका नाम अधिकार अभिलेखों में दिखावे के लिये अंकित है और भूमि अन्य व्यक्तियों के वैयक्तिक अधिकार एवं कृषकीय कब्जे में है।

ग्राम- - - - - - - - लेखपाल क्षेत्र - - - - - तहसील - - - - - - - - - जिला - - - - - - - -

क्रमांक	दिखावे के लिये भू-अभिलेखों में अंकित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान	वैयक्तिक अधिकार एवं कृषकीय कब्जा रखने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान	खाता खतौनी	स्तम्भ 2 में अंकित व्यक्ति का अंश	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रत्येक लेखपाल ग्रामवार सूची तैयार करेगा। इस सूची के आधार पर अपने क्षेत्र के आवासिक खातेदारों की दशा में पहले से तैयार किये गये प्रपत्र 2 में इस प्रकार की भूमि का भी उल्लेख करेगा। वैयक्तिक अधिकार रखने वाले अनावासिक खातेदारों की दशा में प्रपत्र। दो प्रतियों में तैयार करेगा तथा वैयक्तिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति के आवासिक स्थान पर भिजवायेगा जहां ऐसी भूमि का ब्यौरा प्रपत्र 2 में अंकित किया जायेगा। वैयक्तिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान प्रपत्र। और 2 में क्रमशः स्तम्भ। और 2 में अंकित किया जायेगा और उसके आगे कोष्टक में शब्द 'वैयक्तिक अधिकार और कृषकीय कब्जा रखने वाला' लिखा जायेगा। दिखावे के लिये अंकित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान दोनों प्रपत्रों के विशेष विवरण के क्रमशः स्तम्भ 12 और 15 में अंकित किया जायेगा और उसके आगे कोष्टक के भीतर शब्द 'भू-अभिलेख में दिखावे के लिये अंकित' लिखा जायेगा और प्रपत्र। और 2 के शीर्षक की इबारत में शब्द 'विवरण' के आगे शब्द 'अथवा धारा 5(1) के स्पष्टीकरण 1 और 2 के अर्थ में दिखावे के लिये किसी व्यक्ति के नाम अंकित भूमि का विवरण लिखा जायेगा। आवासिक स्थान पर प्रपत्र। की भूमि प्रपत्र 2 में जोड़ने पर कुल भूमि 18 एकड़ से अधिक पाई जाय तो कुल भूमि का क्षेत्रफल प्रपत्र। की दोनों प्रतियों के विशेष विवरण के स्तम्भ लिखकर एक प्रति अनावासिक स्थान के लेखपाल को सम्बन्धित तहसीलदार अथवा कानूनगो के माध्यम से इस आशय से वापस की जायेगी कि उसका प्रपत्र 5 बनाकर शीघ्रातिशीघ्र आवासिक स्थान के लेखपाल को उपलब्ध कराया जाय। प्रपत्र 2 के आधार पर वैयक्तिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति की अन्य भूमि में इस प्रकार की भूमि जोड़ने पर 18 एकड़ से अधिक भूमि की दशा में प्रपत्र 3 के भाग। और 2 में लेख किया जायेगा और प्रपत्र 5 में विवरण तैयार करके सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त रीति से लेखपाल द्वारा तैयार की गई सूचना की शत-प्रतिशत जांच सम्बन्धित पर्यवेक्षक कानूनगो/नायब तहसीलदार द्वारा की जायेगी किन्तु प्रत्येक तहसीलदार और परगनाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह स्थानीय जांच, प्रपत्र 1-क, पुरानी सीलिंग के समय तैयार की गई उन खातेदारों की सूची जिनके विरुद्ध कार्यवाही होने की सम्भावना थी, चाहे कार्यवाही हुई हो या नहीं, तथा वर्ष 1367 फसली और उसके आगे की खतौनियों और तहसील की नामान्तर बहियों की सहायता से और अपने विवेकानुसार अन्य प्रकार से जांच करके सुनिश्चित करें

क्रमशः -6

कि दिखावे के लिये अंकित व्यक्ति की कोई जोत प्रपत्र 1 और 2 में अंकित होने से रह न जाय और कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है, सीलिंग से बच न जाय।

इस प्रकार के मामलों के लिये नियम 8 में संशोधन करके व्यवस्था की गई है कि यदि आ०जो०सी०आकार पत्र 3 में दिये गये विवरण में ऐसी भूमि भी सम्मिलित हो जो दिखावे के लिये किसी अन्य व्यक्ति के नाम धृत हो तो नियत प्राधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी आ०जो०सी०आकार पत्र 3 में विवरण की एक प्रति के साथ आ०जो०सी०आकार पत्र 4 में एक नोटिस तामील करायेगा, जिसमें उससे कहा जायेगा कि वह नोटिस के तामील होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर कारण बताये कि उक्त विवरण क्यों न ठीक मान लिया जाय। इसके लिये आ०जो०सी०आकार पत्र 3 में भाग क के बाद एक नया भाग "कक" निर्धारित किया गया है जिसमें उपर वैयक्तिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति का विवरण दिया जायेगा और स्तम्भ 1 से 12 में दिखावे के लिये अंकित व्यक्ति तथा इस प्रकार दिखावे के लिये अंकित भूमि का विवरण दिया जायेगा। ऐसी भूमि को भाग क, ख और ग में वैयक्तिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति की अन्य भूमि में, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुये विवरण तैयार किये जायेंगे।

8- इन्टरमीडियेट या डिग्री कालेज की भूमि को जो कृषि विषयक शिक्षा देते हों, अधिकतम जोत सीमा आरोपण से विमुक्त करना :-

धारा 5(2) में संशोधन के अनुसार इन्टरमीडियेट या डिग्री कालेज जो कृषि विषयक शिक्षा देते हों, की भूमि भी अधिकतम जोत सीमा आरोपण से विमुक्त कर दी गई है। इस प्रकार की संस्थाओं के मामलों में पहले के प्राविधानों के अनुसार की गई अधिकतम जोत सीमा आरोपण की कार्यवाही निरस्त करनी होगी। ऐसे मामलों की जानकारी प्रत्येक जिले के सीलिंग अनुभाग में मौजूद होगी। प्रत्येक नियत प्राधिकारी ऐसे मामले की पत्रावलियों को निकलवाकर अतिरिक्त भूमि अवधारण की कार्यवाही को निरस्त करने के आदेश पारित करके उसकी अमल-दरामद करायेंगे।

9- किसी फर्म, सहकारी समिति, अन्य समिति एवं व्यक्तियों के समुदाय द्वारा धृत भूमि में साझेदारों के अंश की भूमि का आकलन :-

मूल अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (4) के नये प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार किसी फर्म, सहकारी समिति, अन्य समिति अथवा व्यक्तियों के समुदाय द्वारा धृत जोत की भूमि में प्रत्येक भागीदार के अंश की भूमि निकालने में उस व्यक्ति का कोई अंश नहीं माना जायेगा जिसके पास फर्म, सहकारी समिति, अन्य समिति अथवा व्यक्तियों के समुदाय में प्रवेश की तिथि से पहले उसके अंश के अनुपात से कम भूमि थी तो उसके द्वारा धृत यह कम क्षेत्रफल ही उसके अंश की भूमि मानी जायेगी। शेष भूमि अन्य भागीदारों के मध्य उनके अंशों के अनुपात में विभाजित की जायेगी। इस प्रकार के मामले भी काफी होने की सम्भावना है क्योंकि मूल अधिनियम में कृषि सहकारी समितियां सीलिंग से विमुक्त होने के कारण, सीलिंग से बचने के लिये काफी संख्या में सहकारी कृषि समितियां गठित की गई हैं। इन सबकी परीक्षक द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा शत-प्रतिशत जांच कराई जाय। वे सम्बन्धित फर्म, सहकारी समिति, अन्य समिति अथवा व्यक्तियों के समुदाय के पंजीकरण के समय के प्रार्थना पत्र, सदस्यों की संख्या, उनके द्वारा समिति में सम्मिलित करने हेतु धृत भूमि का विवरण, उस समय सदस्यों के अंश, बाइलाज इत्यादि अन्य कागजात की जांच कर भागीदारों के अंश का इस संशोधन को दृष्टिगत रखते हुये सही सही अवधारण सीलिंग के प्रपत्रों में करेंगे। यदि किसी भी सदस्य द्वारा

(हस्तलिखित हाशिया टिप्पणी: कोई भूमि नहीं थी यदि [illegible] तिथि से पहले)

(हस्ताक्षर) 17/7

सहकारी फार्म के अतिरिक्त कहीं और भी भूमि धृत हो तो उसको भी जोड़ कर सीलिंग की कार्यवाही की जायगी। तहसीलदार तथा परगनाधिकारी भी ऐसे सभी मामलों को विशेष रूप से देखें तथा जहां-कहीं आवश्यक हो, नक्शों को ठीक कराकर अतिरिक्त भूमि के अवधारण अथवा पुन अवधारण की कार्यवाही करावें।

10- किसी वाद में 24-1-71 के पश्चात किसी व्यक्ति की सह-खातेदार के रूप में घोषणा की उपेक्षा।

मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (6) के अनुसार अधिकतम जोत सीमा आरोपण के प्रयोजनार्थ दिनांक 24-1-71 के पश्चात किये गये अन्तरणों की उपेक्षा की गई है। संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा एक स्पष्टीकरण और बढ़ाकर व्यवस्था की गई है कि उक्त उपधारा (6) में प्रयुक्त शब्द ''अन्तरण'' में 24-1-71 के बाद किसी वाद में किसी व्यक्ति की सह-खातेदार के रूप में घोषणा भी सम्मिलित है चाहे वह वाद 24-1-71 से पहले दायर किया गया हो या उसके बाद। इसके अतिरिक्त उपरोक्त आशय से किसी अन्य विलेख या संलेख द्वारा अथवा अन्य किसी रूप से किसी व्यक्ति के पक्ष में की गई सम्भावी स्वीकृति, अभिस्वीकृति या त्याग अथवा घोषणा भी अन्तरण समझी जायगी और उसकी उपेक्षा की जायगी। संशोधन अधिनियम 1972 के कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देश पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर प्रस्तर 10 और 11 के अनुसार 24-1-71 के बाद किये गये अन्तरणों की भूमि का विवरण प्रपत्र 4 में एकत्रित किया गया है। वर्ष 1376, 1377, 1378, 1379 और 1380 फसली की खतौनियों में अंकित समस्त जोतों की इस आशय की जांच की गई है कि उन जोतों के सामने दिनांक 24-1-71 के पश्चात किसी अन्तरण के आधार पर कोई अमलदरामद अभिलिखित है अथवा नहीं। ऐसे समस्त जोतों का विवरण जिनके सामने दिनांक 24-1-71 के पश्चात पारित आदेशों का अमलदरामद अंकित है, प्रपत्र 4 के स्तम्भ 1 से 5 में अंकित किया गया है। इस विवरण की सहायता से सम्बन्धित वाद पत्रावलियों को देखकर वह मामले पहले ही अंकित किये जा चुके हैं जिनमें अन्तरण दिनांक 24-1-71 के पश्चात हुआ था। प्रपत्र 4 की सहायता से सभी मामलों की पत्रावलियों को पुनः दिखवा लिया जाय कि उनमें अन्तरण का आधार 24-1-71 के बाद की गई घोषणा या उक्त दिनांक के पश्चात किसी विलेख या संलेख अथवा किसी अन्य रूप से किसी व्यक्ति के पक्ष में की गई सम्भावी कोई स्वीकृति, अभिस्वीकृति, त्याग अथवा घोषणा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो ऐसे मामलों में अमलदरामद के आदेशों की उपेक्षा करते हुये इस प्रकार की भूमि को भी प्रपत्र 4 में अंकित किया जाय। प्रपत्र 4 के स्तम्भ 6 में घोषणा, स्वीकृति, अभिस्वीकृति अथवा त्याग का दिनांक लिखा जाय। अनावासिक खातेदारों की दशा में प्रपत्र 4 का उद्धरण दो प्रतियों में आवासिक स्थान को भेजा जाय जहां इस भूमि को जोड़ने पर 18 एकड़ से अधिक भूमि होने पर प्रपत्र 3 के भाग 1 में लेख किया जाय तथा प्रपत्र 4 के उद्धरण के विशेष विवरण के स्तम्भ में कुल भूमि का लेख करके एक प्रति अनावासिक स्थान से प्रपत्र 5 मंगाने के लिये वापस की जाय तथा समस्त भूमि मूल खातेदार की समझकर सीलिंग के संशोधित नक्शे तैयार कराये जांय तथा अतिरिक्त भूमि के अवधारण अथवा पुन अवधारण की कार्यवाही की जाय। जांच कार्य पर्यवेक्षक कानूनगो/नायब तहसीलदार द्वारा किया जायगा। तहसीलदार और परगनाधिकारी भी कुछ लेखों की जांच करके सुनिश्चित करें कि सही सूचना संकलित की गई है।

11- दिनांक 24-1-71 के बाद दायर किये गये वादों में ऐसी घोषणा की उपेक्षा जिसमें यह कहा गया हो कि किसी भूमि का उक्त तिथि को या उससे पूर्व बंटवारा हो चुका था:-

मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (7) के बाद बढ़ाये गये नये स्पष्टीकरण संख्या 1 के अनुसार यदि 24-1-71 के पश्चात कोई वाद इस घोषणा के लिये दायर किया गया हो कि उक्त तिथि को या उससे पूर्व किसी भूमि का बंटवारा हो चुका था तो इस प्रकार के बंटवारे के आदेशों की उपेक्षा की जायेगी और यह समझा जायगा कि उक्त तिथि को या उससे पूर्व कोई बंटवारा नहीं हुआ था। इस प्रकार

क्रमशः - 8

[handwritten initials] 17/7

[illegible] पारिवारिक समझौते भी आ जाते हैं। ऐसे मामलों की जानकारी के लिये आवश्यक है कि [illegible] 1376, 1377, 1378, 1379 और [illegible] फसलों की खतौनियों में ऐसे [illegible] बंटवारे अथवा पारिवारिक [illegible] के आधार पर न्यायालय [illegible] के बाद [illegible] हुये हैं। ऐसे खातों का लेख, प्रपत्र 4 के स्तम्भ 1 से 5 में किया जाय। उसका [illegible] किया जाय। यदि कोई अमलदरामद [illegible] हो तो उसका अमलदरामद किया जाय। तत्पश्चात प्रपत्र [illegible] में अंकित इस प्रकार के सभी मामलों की वाद पत्रावलियों की जांच कराकर यह ज्ञात किया जाय कौन से मामले ऐसे हैं जो 24-1-71 के बाद दायर किये गये थे और इस बात की [illegible] कि बंटवारा या पारिवारिक समझौता 24-1-71 को या उसके पहले हो चुका था। तत्पश्चात वाद दायर करने का दिनांक प्रपत्र 4 के स्तम्भ 8 में लिखा जाय और इस प्रकार के सभी बंटवारों अथवा पारिवारिक समझौतों की उपेक्षा की जाय। उसके बाद प्रस्तर 10 में बताई गई रीति से प्रपत्र [illegible] उद्धरण और प्रपत्र 5 की तैयार और उनका आदान प्रदान [illegible] तथा प्रपत्र 3 के भाग 1 और 2 में लेख किया जाय तथा संशोधित नक्शे तैयार कराकर अतिरिक्त भूमि के अवधारण की कार्यवाही की जाय। जांच कार्य सम्बन्धित पर्यवेक्षक कानूनगो अथवा नायब तहसीलदार द्वारा किया जाय। तहसीलदार और परगनाधिकारी भी कुछ मामलों की जांच करके सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के सभी मामले प्रपत्र 4 में अंकित कर दिये गये हैं तथा जहां आवश्यक है अतिरिक्त भूमि के अवधारण अथवा पुनः अवधारण की कार्यवाही करा दी गई है।

12- उत्तर प्रदेश गोसंवर्धन अधिनियम 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक प्रकार की गोशाला की भूमि को अधिकतम जोत सीमा आरोपण।

मूल अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (छ) में संशोधनों के अनुसार केवल सार्वजनिक प्रकार की रजिस्ट्रीकृत गोशाला के ही लिये नियत सीमा तक छूट दी गई है और वह भी उस [illegible] जो 8-6-73 से पहले से धृत हो। असार्वजनिक गोशालाओं की छूट समाप्त कर दी गई है। ऐसी गोशालाओं की समस्त भूमि देखकर अतिरिक्त भूमि के अवधारण अथवा पुनः अवधारण की कार्यवाही की जायगी। सार्वजनिक प्रकार की रजिस्ट्रीकृत गोशालाओं के मामलों में भी कार्यवाही करनी [illegible] सकती है, क्योंकि नियम 1 के उपनियम (5) में संशोधन के फलस्वरूप चारागाह या चारे के उत्पादन के लिये उपयोग में आ रही भूमि होने का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है।

13- दिनांक 3-1-61 के पश्चात सरकारी पट्टेदारों की भूमि सुधार तथा खेती के लिये तथा ऐसी विशिष्ट फसलों की खेती के लिये तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं, पट्टे पर दी गई भूमि को भी अधिकतम जोत सीमा आरोपण के प्रयोजनार्थ सम्मिलित करना:-

---

संशोधन अधिनियम 1974 में किये गये संशोधनों के अनुसार 3-1-61 के पश्चात सरकारी पट्टेदारों की भूमि सुधार तथा खेती के लिये अथवा ऐसी विशिष्ट फसल की खेती के लिये अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं पट्टे पर दी गई भूमि की छूट को समाप्त कर दिया गया है। अब इस प्रकार की भूमि को भी खातेदार की जोत में सम्मिलित करके अधिकतम जोत सीमा आरोपण की कार्यवाही करनी है। इस प्रकार के मामले प्रदेश में बहुत कम होंगे। वर्ष 1378 फसली की खतौनियों को देखकर ऐसी जोतों को भी सम्मिलित करके आवश्यकतानुसार प्रपत्र 1, 2, 3 और 5 तैयार किये जायं और सीलिंग की कार्यवाही की जाय।

14- संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (17) में दी गई खातेदार की परिभाषा में किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है के स्थान पर किन्तु

[illegible signature] 1/7

सिवाय अध्याय 3 के, इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं कर दिया गया है। मूल धारा के अनुसार कोई महिला जिसका पति खातेदार हो तथा अवयस्क बच्चा जिसके माता या पिता खातेदार हों सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार की परिभाषा में कहीं भी नहीं आते थे। संशोधित परिभाषा के अनुसार अब वे अध्याय 3, जिसमें प्रतिकर के निर्धारण एवं भुगतान की व्यवस्था की गई है, के लिये खातेदार माने जायेंगे तथा प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

15-नियमों में संशोधन

(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा नियमावली 1981 में द्वितीय संशोधन नियमा-
वली 1975 द्वारा किये गये संशोधनों का प्रकाशन दिनांक 12-4-75 के उत्तर प्रदेश के गजट के
भाग 1-क के पृष्ठ 2067 से 2083 पर किया गया है। यह सभी संशोधन गजट में प्रकाशन के दिनांक
12-4-75 से लागू हुये हैं। नियम 3 और नियम 4 का उपनियम (8) निकाल दिया गया है। नियम
4 के उपनियम (5) में संशोधन करके किसी भी गौशाला के बजाय केवल सार्वजनिक गौशालाओं के लिये
भूमि विमुक्त करने का सिद्धान्त रखा गया है। नियम 8 में एक प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ाकर
दिखावे के लिये अंकित व्यक्तियों को आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है जैसा कि प्रस्तर
7 में स्पष्ट किया गया है।

(2) एक नया नियम 11 क बढ़ाया गया है जिसके द्वारा व्यवस्था की गई है कि संयुक्त
जोतों की दशा में जिस प्रकार नियम 10 और 11 के अनुसार बंटवारे और परिच्छेदन की कार्यवाही की
जाती है उसी प्रकार सार्वजनिक कम्पनी से भिन्न किसी फर्म, सहकारी समिति या अन्य समिति या
व्यक्तियों के समुदाय द्वारा धृत जोतों में अंशधारियों के अंश के बंटवारे तथा परिच्छेदन के लिये भी
इन नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

(3) अ0जो0सी0 आकार पत्र 2 और 3 तथा उनके अनुलग्नकों में निम्न प्रकार संशोधन
किये गये हैं:-

1-अ0जो0सी0आ0 पत्र 2-खण्ड (5) के	स्तम्भ 5 में शब्द 'धारा 4(2) से उल्लिखित एकल फसल वाली भूमि' बढ़ा दिये गये हैं।
2-अ0जो0सी0आ0 पत्र 2 का अनुलग्नक -ग	स्तम्भ 11 और 12 के बीच एकल फसल वाली भूमि के लिये नये स्तम्भ 11-क और 11-ख बढ़ा दिये गये हैं।
3-अ0जो0सी0आ0 पत्र-3 का भाग- क	स्तम्भ 9 और 10 के बीच एकल फसल वाली भूमि के लिये नये स्तम्भ 9-क और 9-ख बढ़ाये गये हैं।
4-अ0जो0सी0आकार पत्र 3 का नया भाग क क	भाग क के बाद नया भाग 'कक' बढ़ाया गया है जिसमें उस भूमि का विवरण दिया जायेगा जो दिखावे के लिये किसी व्यक्ति के नाम धृत है और जो वास्तविक अधिकार और काश्त या कब्जा रखने वाले व्यक्ति की जोत की भूमि समझी जायेगी।
5-अ0जो0सी0आ0 पत्र 3 भाग-ग	भाग-ग में स्तम्भ 8 और 9 के बीच स्तम्भ 8 क और 8 ख तथा स्तम्भ 19 और 20 के बीच में स्तम्भ 19 क और 19 ख एकल फसल वाली भूमि की गाटा संख्या और क्षेत्रफल लिखने के लिये बढ़ाये गये हैं।

आकार पत्रों में बढ़ाये गये स्तम्भों को जब तक नये छपे फार्म उपलब्ध न हो जांय, पुराने
ही फार्मों पर सम्बन्धित स्तम्भों के बीच स्थान में नये स्थान कायम करके काम चलाया जाय। आकार-
पत्र-3 के नये भाग- कक के लिये भी तब तक सादे कागज पर हस्तलिखित फार्मों का प्रयोग किया जाय।

16- संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 2 से 8 के प्राविधान 8-6-73 अर्थात संशोधन अधि-
नियम 1972 के लागू होने के दिनांक से ही लागू किये गये हैं किन्तु धारा 9(2) के अधीन अ0जो0
सी0आ0 पत्र 1 में पुनः नोटिस प्रकाशित करने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः धारा 9(2) के

क्रमशः - 10

[signature] 8/7

अन्तर्गत पुनः नोटिस प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नही है परन्तु धारा 10 (2) के अन्तर्गत नोटिस हर हालत में नये मामलों तथा पुराने पुनः सीमा अवधारण के मामलों में देना अनिवार्य है। पुनः सीमा अवधारण के मामलों में नोटिस पर उपर "संशोधन अधिनियम 1974 के अन्तर्गत पुनः अधिकतम जोत सीमा अवधारण हेतु नोटिस" अंकित कर दिया जाय।

17- संशोधन अधिनियम 1974 के फलस्वरुप पांच प्रकार के मामले उत्पन्न होंगे :-

(1) जिनमें पहले खातेदार की भूमि साधारण एकड़ों में 18-00 एकड़ या उससे कम थी और अब धारा 5 की उपधारा (1), (4), (6) और (7) में बढ़ाये गये प्रतिबन्धों और स्पष्टीकरणों के कारण 18-00 एकड़ से अधिक भूमि हो गई है। ऐसे खातेदारों का प्रपत्र 3 के भाग 1 और 2 में लेख करके प्रपत्र 5 तैयार किया जायगा।

(2) जिनमें खातेदार के पास 18-00 एकड़ से अधिक भूमि थी किन्तु तत्कालीन प्राविधानों के अनुसार उनकी भूमि प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा से अधिक नही पाई गई थी किन्तु अब एकल फसल की अलग श्रेणी होने, सिंचित भूमि के लिये सिंचन संकर्म द्वारा सिंचित होने के स्थान पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होना ही आवश्यक रह जाने और गन्ने की फसल को दो फसला मान लेने के कारण सिंचित भूमि के अंश में भूमि बढ़ गई अथवा धारा 5 की उपधारा (1), (4), (6) और (7) में संशोधनों के फलस्वरुप भूमि बढ़ गई और कुल मिलाकर सिंचित भूमि के अंश में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो गई है। ऐसे खातेदारों का लेख प्रपत्र 3 के भाग 1 और 2 में पहले ही से है किन्तु जिन खातेदारों की भूमि में बढ़ोतरी हो गई है उनका क्षेत्रफल प्रपत्र 3 में संशोधित किया जायगा। ऐसे सभी मामलों में प्रपत्र 5 तैयार कराकर सीलिंग की कार्यवाही करने या न करने का फिर से निर्णय लिया जायगा।

उपरोक्त दोनो प्रकार के मामलों में से ऐसे मामले पाये जायेंगे जिनमें अब तक सीलिंग की कार्यवाही नही की गई थी। अब कार्यवाही की जायगी।

(3) जिन मामलों में दिनांक 17-1-75 से पहले अतिरिक्त भूमि के अवधारण के आदेश हो चुके थे, और अब उपरोक्त दूसरे प्रकार के मामलों की भांति इनमें भूमि बढ़ गई है उनमें संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 9 के अधीन पुनः अवधारण की कार्यवाही की जायगी। मूल वाद पत्रावली पर संशोधन अधिनियम 1974 के कारण भूमि में बढ़ोतरी का हवाला देते हुये उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन फिर से कार्यवाही करने का आदेश पारित किया जाय तथा संशोधित अ0ज0सी0आकार पत्र 3 के साथ अ0ज0सी0आकार पत्र 4 में नोटिस जारी करके अग्रिम कार्यवाही की जाय। जिन मामलों में धारा 14 (3)/14 (5) के अधीन आपत्तियां और अपीलें, यदि कोई हों, की सुनवाई के पश्चात धारा 14 (2) के अधीन दिनांक 17-1-75 से पहले अतिरिक्त भूमि अन्तिम रुप से अवधारित होकर राज्य सरकार में निहित हो चुकी है, उनमें संशोधित अ0ज0सी0 आकार पत्र 3 के भाग क और ग में अन्तिम रुप से अवधारित अतिरिक्त भूमि का लेख अलग लाइनों पर करके उसके सामने लिख दिया जाय कि यह 17-1-75 से पहले अन्तिम रुप से अतिरिक्त घोषित होकर राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। ऐसी भूमि पर कब्जा लेने और आवंटन करने की कार्यवाही रोकी नही जायेगी। जिस भूमि का दिनांक 17-1-75 से पहले धारा 14 (1) का प्रकाशन नही हुआ था अथवा प्रकाशन हुआ था किन्तु उसके विषय में धारा 14 (3)/14 (5) के अधीन आपत्ति अथवा अपील विचाराधीन थी उसे, आपत्तियों/अपीलों यदि हों, को ध्यान में रखते हुये, अ0ज0सी0 आकार पत्र 3 के भाग क में सम्मिलित करते हुये भाग "ग" में अतिरिक्त भूमि के रुप में पुनः प्रस्तावित किया जाय।

(4) मामले जिनमें पहले से कार्यवाही हो रही थी किन्तु संशोधन अधिनियम 1974 के

17/7

क्रमशः - 11

फलस्वरूप भूमि बढ़ गई है और दिनांक 17-1-75 से पहले अतिरिक्त भूमि के अवधारण के आदेश पारित नहीं हुये थे परन्तु दिनांक 17-1-75 या उसके पश्चात अतिरिक्त भूमि के अवधारण के आदेश संशोधन अधिनियम 1974 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये पारित कर दिये गये हैं उनमें धारा 13क के अधीन कार्यवाही की जायगी और खातेदार को फिर से नोटिस देकर अतिरिक्त भूमि का अवधारण किया जायगा।

(5) जिन मामलों में अभी तक संशोधन अधिनियम 1974 के उपबन्धों को ध्यान में न रखते हुये पुरानी कार्यवाही चलाई जा रही है उनमें जहां संशोधन के फलस्वरूप परिवर्तन हो रहा हो, संशोधन अधिनियम के उपबन्धों का हवाला देकर पिछली नोटिस का अतिक्रमण करते हुये फिर से संशोधित अ0ज0सी0आकार पत्र 3 के साथ नई नोटिस जारी की जाय।

18- संशोधन अधिनियम 1974 के अधीन सीलिंग के प्रपत्रों और आकार पत्रों की तैयारी, जांच, आज्ञा प्रदान तथा अन्य कार्यवाही में उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त संशोधन अधिनियम 1972 के कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देश पुस्तिका में दिये गये निर्देशों का, जो इन निर्देशों से भिन्न न हों, पालन किया जायगा। इस पत्र की प्राप्ति के तुरन्त बाद सभी लेखपालों, पर्यवेक्षक कानूनगो और नायब तहसीलदारों को तहसील मुख्यालय पर बुलाकर प्रत्येक तहसीलदार और परगनाधिकारी इन निर्देशों को भली भांति समझा दें तथा इस प्रकार काम लें कि धारा 10(2) के ऐसे मामलों के अधीन नोटिस जारी करने का काम दिनांक 31-7-75 तक अवश्य पूरा हो जाय और आगे का काम निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूरा किया जाय। सुगम सन्दर्भ के लिये प्रत्येक पर्यवेक्षक कानूनगो तथा नायब तहसीलदार के स्तर तक के प्रयोग के लिये इस पत्र की अतिरिक्त प्रतियां भेजी जा रही हैं।

19- संशोधन अधिनियम 1974 के अधीन कार्यवाही के साथ, अब चूंकि संशोधन अधिनियम 1972 को लागू हुये 2 वर्ष का समय बीत चुका है, धारा 4क के द्वितीय खण्ड और धारा 29 के साथ पठित धारा 30 के अधीन ऐसे मामलों की भी जांच करके कार्यवाही की जाय जिनमें संशोधन अधिनियम 1972 के लागू होने के पश्चात खातेदार के पास प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि पाई जाय। नये बने राजकीय सिंचन सकर्मों के क्षेत्र की भूमि के विषय में तथा धारा 29 में बताई गई बातों की जांच करके कार्यवाही की जाय।

20- उपरोक्त प्रस्तरों में बताई गई रीति से कार्यवाही के पश्चात निम्नलिखित शीर्षक में सूचना परिषद को 31-8-75 तक उपलब्ध कराई जाय :-

संशोधन अधिनियम 1974 के अधीन कार्यवाही के फलस्वरूप

नाम जिला	मामलों की संख्या/क्षेत्रफल जिनमें पुनः अवधारण किया गया		नये मामलों की सं0/क्षेत्रफल		धारा 4 के द्वितीय खण्ड (ख) और 29 के साथ पठित धारा 30 के अधीन कार्यवाही के फलस्वरूप मामलों की संख्या/क्षे0	
	संख्या	प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल जो पुनः अवधारण में बदला	संख्या	प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षे0	संख्या	प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7

21- कृपया इस पत्र की प्राप्ति से सूचित करें।

भवदीय,

(बसन्त कुमार जोशी)
सचिव।

संख्या 49 /15-सीलिंग-8/74 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1/12, सचिवालय, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- उप भूमि व्यवस्था आयुक्त लेखा/समस्त मण्डलीय लेखाधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- परिषद के अन्य समस्त अधिकारीगण।

आज्ञा से,

(बसन्त कुमार जोशी)
सचिव।